भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4756

सोमवार, 22 जुलाई, 2019 / 31 आषाढ़ 1941 (शक)

बिहार को प्रदान की गई वित्तीय सहायता

4756. डॉ. मोहम्मद जावेद:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत पांच वर्षों के दौरान श्रम से संबंधित केन्द्र द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत बिहार को प्रदान की गई वित्तीय सहायता का वर्ष-वार/योजना-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) गत पांच वर्षों के दौरान उक्त योजनाओं के माध्यम से वर्ष-वार/योजना-वार कितने श्रमिक लाभान्वित हुए हैं;

(ग) क्या बिहार सरकार ने श्रमिकों हेतु कार्यान्वित की जा रही योजनाओं/कार्यक्रमों में अपने प्रयासों हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने का निवेदन किया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में प्रदान की गई सहायता का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (घ): श्रम और रोजगार मंत्रालय एक केन्द्र प्रायोजित योजना अर्थात राष्ट्रीय कैरियर सेवा (एनसीएस) का कार्यान्वयन कर रहा है। एनसीएस परियोजना में प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके रोजगार कार्यालयों तथा प्रसिद्ध संस्थानों में रोजगार से संबंधित विविध सेवाएं प्रदान करने हेतु मॉडल कैरियर केंद्रों की स्थापना शामिल है। इस योजना में राज्यों को आईटी उन्नयन और रोजगार कार्यालयों के मामूली नवीकरण तथा नौकरी मेलों के आयोजन करने हेतु आंशिक वित्त पोषण का उपबंध है। राष्ट्रीय कैरियर सेवा के तहत निधि का राज्य-वार अंतरण योजना का एक अभिन्न घटक है और लक्ष्य विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों पर आधारित होते हैं। राज्यों को निधि एनसीएस के विभिन्न घटकों के तहत मॉडल कैरियर केंद्रों की स्थापना और रोजगार कार्यालयों को आपस में जोड़ने के प्रस्तावों के लिए जारी की जाती है। पिछले पांच वर्षों के दौरान बिहार को जारी की गई निधियों का विवरण निम्नानुसार है:

(रूपये लाख में)

योजना का नाम	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
राष्ट्रीय कैरियर सेवा	40.42	19.63	09.78	651.96	00.00

एनसीएस श्रमिकों को डील नहीं करता। हालाँकि, एनसीएस नौकरी ढूढने वालों और नियोक्ताओं को रोजगार से संबंधित सहायता प्रदान करता है।

*****